**संख्या-130/2021/756/23-9-2021-14नाबार्ड(सेतु)/2020**

**प्रेषक,**

महेश कुमार
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 25 अगस्त, 2021

**विषय - वित्तीय वर्ष 2021-22 में नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या-57/83 मद में सेतुओं के चालू कार्यो हेतु धनराशि का आवंटन ।**

महादेय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-1974/नाबार्ड योजना (चालू कार्य/आवंटन)/2021-22, दिनांक 28.07.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत स्वीकृत 05 सेतुओं के चालू कार्यो हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत स्वीकृत विभिन्न जनपदों के कुल 05 सेतुओं के चालू कार्यो हेतु संलग्न सारिणी के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त 05 सेतुओं के चालू कार्यो हेतु **सारिणी के स्तम्भ-13 के अनुसार** रू0 2,62,64,000/-(रूपये दो करोड़ बासठ लाख चौसठ हजार मात्र) (जिसमें अनुदान सं0-57 से रू0 2.0694 करोड़ एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 0.5570 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त धनराशि केवल उक्त अंकित परियोजनाओं पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
2- नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतुओं की गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत् पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय ।
3- उक्त 05 सेतुओं के सेतु अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथकपृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाये ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5- संलग्न सारिणी के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के **अनुदान संख्या-57 के अन्तर्गत** लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 101-पुल, 34-नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत स्वीकृत सेतुओं के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था, 00, 24-वृहत् निर्माण कार्य**एवं अनुदान सं0-83 के**

**क्रमशः.....**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**अंतर्गत** लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय, 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 789-अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना, 16-नाबार्ड पोषित आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य), 00, 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राविधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

**संलग्नक-यथोक्त।**

भवदीय,

( महेश कुमार )
विशेष सचिव

**संख्या उपरोक्त एवं तददिनांक**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ् एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-**

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयगराज ।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन ।
4- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- उप महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 ।
8- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
9- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
10- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10
12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

( महेश कुमार )
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

## शासनादेश संख्या-130/2021/756/23-9-2021-14नाबार्ड (सेतु)/2020, दिनांक 25 अगस्त, 2021 का संलग्नक

(धनराशि रू0 लाख में)

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | कार्य का नाम | शासनादेश सं0 व दि0 | कुल लागत | सेतु निगम अंश | लो0 नि0 वि0 अंश | अनुबन्ध गठन से हुई बचत | अब तक आवंटन (सेतु निगम/ लो0नि0 वि0) | दि0 01.04. 2021 का अवशेष (सेतु निगम /लो0नि0वि0 ) | वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त धनराशि की फांट | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | अनु-057 | अनु0-83 | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | बिजनौर | जनपद बिजनौर में रतनगढ़ गोहावर चौक तेलीपुरा ताजपुर मार्ग अ)0जि0मा0) के किमी0-08 में बान नदी पर 3x15 मी0 स्पान के लघु सेतु, पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य। | 19/2018/127/23-9-2018-06 नाबार्ड (सेतु)/ 2017-18 दि0 21.03.2018 | 325.34 | 0.00 | 325.34 | 0.00 | 285.34 | 40.00 | 25.21 | 6.79 | 32.00 |
| 2 | बिजनौर | जनपद बिजनौर में रतनगढ़ गोहावर चौक तेलीपुरा ताजपुर मार्ग अ)0जि0मा0) के किमी0-19 में गांगन नदी पर 3x15 मी0 स्पान के लघु सेतु पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य। | 19/2018/127/23-9-2018-06 नाबार्ड (सेतु)/ 2017-18 दि0 21.03.2018 | 301.98 | 0.00 | 301.98 | 0.00 | 234.51 | 67.47 | **42.53** | **11.45** | **53.98** |
| 3 | बिजनौर | जनपद बिजनौर में नूरपुर स्योहारा ठाकुरद्वारा मार्ग प्र)0 जि0मार्ग-26) के किमी0-10 में कड़ूला नदी पर 3x18.75 मी0 स्पान के लघु सेतु पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य। | 19/2018/127/23-9-2018-06 नाबार्ड (सेतु)/ 2017-18 दि0 21.03.2018 | 344.33 | 0.00 | 344.33 | 0.00 | 304.33 | 40.00 | **25.22** | **6.78** | **32.00** |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | कार्य का नाम | शासनादेश सं0 व दि0 | कुल लागत | सेतु निगम अंश | लो0 नि0 वि0 अंश | अनुबन्ध गठन से हुई बचत | अब तक आवंटन (सेतु निगम/ लो0नि0 वि0) | दि0 01.04. 2021 का अवशेष (सेतु निगम /लो0नि0वि0 ) | वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त धनराशि की फांट | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | अनु-057 | अनु0-83 | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | बलिया | जनपद बलिया में बनकटा में कटहल नाले पर पुलिया का निर्माण कार्य। | 35/2020/106/23-9-2020-11 नाबार्ड (सेतु)/ 2019 दि0 24.02.2020 | 141.72 | 0.00 | 141.72 | 1.14 | 86.32 | 54.26 | 42.75 | 11.51 | 54.26 |
| 5 | बलिया | जनपद बलिया में ग्राम सभा पिलुई में 4x5 मी0 स्पान के आर0सी0सी0 पुलिया एवं दोनो तरफ एप्रोच मार्ग के निर्माण का कार्य। | 35/2020/106/23-9-2020-11 नाबार्ड (सेतु)/ 2019 दि0 24.02.2020 | 153.82 | 0.00 | 153.82 | 1.89 | 61.53 | 90.40 | 71.23 | 19.17 | 90.40 |
| | | | कुल योग- | 1267.19 | 0.00 | 1267.19 | 3.03 | 972.03 | 292.13 | 206.94 | 55.70 | 262.64 |

**( अवमुक्त धनराशि रू0 दो करोड़ बासठ लाख चौसठ हजार मात्र )**

**( महेश कुमार )**

**विशेष सचिव**

http://shasana

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।